राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	318/2025 छोटू / कानाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/12/2025	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 318/2025, 414/2025, 295/2025, 324/2025, 415/2025 एवं 416/2025में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है | अत: अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावलीयो पर सुनी गयी |पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/12/2025 को पेश हो |	
31/12/2025	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि नारायण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/06/2024 पारित करते हुए तहसीलदार जयपुर को ग्राम किशोरपुरा चारणान, पटवार क्षेत्र सिवार, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुण्डियारामसर, तहसील व जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 33 पुराना 31 के खसरा नम्बर 306/2 रकबा 18 बीघा में बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित नियम 18 से 21 की पालना करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/10/2024 पारित करते हुये कृषि भूमि खाता संख्या नया 39 व पुराना 37 के खसरा नम्बर 306/2 रकबा 4.5527 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 70 व पुराना 65 के खसरा नम्बर 291 रकबा 11.6600 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 37 व पुराना 36 के खसरा नम्बर 292 रकबा 0.7082 हैक्टेयर में बाई मीट्स एंड बाउन्ड्स के व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/01/2025 पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर प्रार्थमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/06/2024 एवं संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/10/2024 के विरुद्ध क्रमश: अपील संख्या 318/2025, 324/2025 व 416/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/01/2025 के विरुद्ध क्रमश: अपील संख्या 414/2025, 425/2025 व 295/2025 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभयपक्ष की ईकजाई मौखिक बहस अपीलों पर सुनी गयी। चूँकि कुल छः अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों द्वारा इकजाई रूप से बहस की गयी है। अतः इस एक ही निर्णय के माध्यम से छः अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावलीयां मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है। विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/06/2024 एवं संशोधित प्राथमिक निर्णय व् डिक्री दिनांक 23/10/2024 अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/012025 यथावत रखे जाते है एवं अपीले क्रमश: 318/2025, 324/2025, 416/2025, 414/2025, 425/2025 व 295/2025 ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	